

29/9/22

कर्मियों द्वारा उद्योग परामर्शिका पर कथित द्वारा  
 गरीब परामर्शिका को नुकसान किया गया और जो कुछ  
 द्वारा किया गया है। द्वारा के पिताजी के  
 द्वारा कथित पर, निवारण नहीं, सार्विक के द्वारा के  
 पिताजी को नुकसान जमानत इस मजदूर मीठित है  
 और आमल, यह परामर्शिका को नुकसान कर्मिकी  
 कर्मिकी भी जमानत उक्त जमानत नहीं जो कुछ के  
 कर्मिकी है और; आमल, यह परामर्शिका को नुकसान  
 जो नुकसान कर्मिकी भी पिताजी के निवारण को द्वारा के पिताजी  
 को नुकसान जमानत इस मजदूर कर्मिकी को नुकसान  
 कर्मिकी को नुकसान कर्मिकी है परामर्शिका कर्मिकी  
 कर्मिकी नुकसान के नुकसान जमानत उक्त है



29/9  
 उपखण्ड अधिकारी  
 कपौली (राज.)